प्रकाशनार्थ अनुमोदित

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6622/2006

याचिकाकर्ता:

श्रीमती संतोषी, पति उमेंद्रराम यादव, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. अतिरिक्त कलेक्टर, कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।
2. श्रीमती किरण यादव, पति संत लाल यादव, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।
3. श्रीमती उषम यादव, पति महावीर यादव, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।
4. श्रीमती राम बाई, पति हरिहर दास यादव, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।
5. श्रीमती धन बाई, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6622/2006

याचिकाकर्ता: श्रीमती संतोषी

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: अतिरिक्त कलेक्टर, कोरबा एवं अन्य

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 26.06.2008 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6622/2006</u>

याचिकाकर्ता:

श्रीमती संतोषी, पति उमेंद्रराम यादव, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. अतिरिक्त कलेक्टर, कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

2. श्रीमती किरण यादव, पति संत लाल यादव, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

3. श्रीमती उषम यादव, पति महावीर यादव, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

4. श्रीमती राम बाई, पति हरिहर दास यादव, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

5. श्रीमती धन बाई, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-पदानिया, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री एन.के. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता।

-- आदेश --

(दिनांक 26.06.2008)

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश:

दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन, अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 2 पर याचिकाकर्ता को सुना गया।

2. इसका विरोध नहीं किया गया। अतएव, अनुमति दी गई।

3. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत इस याचिका के द्वारा, उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-1, दिनांक 14.09.2006 की विधिकता, विधिमान्यता और सटीकता को प्रश्नाधीन किया है, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 की छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (जिसे संक्षेप में '1993 का अधिनियम' कहा गया है) की धारा 122 के अधीन निर्वाचन याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और जनपद पंचायत, कटघोरा के सदस्य पद पर याचिकाकर्ता के निर्वाचन को अपास्त कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 18 से जनपद पंचायत, कटघोरा के सदस्य के रूप में उत्तरवादी क्रमांक 2 को पराजित कर निर्वाचित हुई थी। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने 1993 के अधिनियम की धारा 122 के अधीन दिनांक 10.02.2005 को इस आधार पर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की थी कि याचिकाकर्ता ने तीसरी संतान, नामतः कु. रेणुका को दिनांक 12.09.2001

को जन्म दिया था। उसने उपरोक्त तथ्य को जानबूझकर छिपाते हुए अपना नामनिर्देशन पत्र दाखिल किया था। कोटवारी रजिस्टर में उसकी जन्म तिथि दिनांक 12.09.2001 के स्थान पर जालसाजी कर दिनांक 12.09.2000 अंकित की गई थी। एक अपात्र महिला ने चुनाव लड़ा और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 18 से जीत हासिल की। गणना के बाद उत्तरवादी, निर्वाचन याचिकाकर्ता, दूसरे स्थान पर रही थी और इसलिए, याचिका स्वीकार करने के बाद उसे जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. निर्वाचन अधिकरण/उत्तरवादी क्रमांक 1 ने याचिकाकर्ता की तीसरी संतान के जन्म के संबंध में थाना प्रभारी, नगर कोतवाली, कोरबा से प्रतिवेदन मंगवाया। विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर ने थाना प्रभारी, नगर कोतवाली, कोरबा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता की तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 के पश्चात दिनांक 12.09.2001 को हुआ था। 1993 के अधिनियम की धारा 36(1)(ड) को देखते हुए, वह पंचायत की पदाधिकारी होने के लिए पात्र नहीं थी। उसने अपनी वास्तविक जन्म तिथि को छिपाकर और अपने नामनिर्देशन पत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करके चुनाव लड़ा था और तदनुसार उसका निर्वाचन अपास्त कर दिया गया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निर्वाचन याचिका 1993 के अधिनियम की धारा 122 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन याचिका, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 (संक्षेप में '1995 के नियम') के नियम 3 के तहत दायर की गई थी। निर्वाचन अधिकरण की आदेश पत्रक के परिशीलन से, जिसे दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने के आवेदन के साथ संलग्न किया गया है, यह स्पष्ट होता है कि याचिका बिना किसी प्रतिभूति राशि जमा किए दिनांक 10 फरवरी 2005 को दायर की गई थी। अधिकरण ने याचिकाकर्ता को प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए समय दिया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.02.2005 को प्रतिभूति के रूप में केवल 50/- रुपये जमा किए। इस प्रकार, निर्वाचन याचिका नियम 7 के अनिवार्य उपबंधों का पालन किए बिना दायर की गई थी। अधिकरण को नियम 8 के तहत याचिका को खारिज कर देना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **बाबूलाल कालुराम किरार एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[1], **उदय सिंह विरुद्ध हिम्मत सिंह एवं अन्य**[2], **अमरसिंह विरुद्ध अनुविभागीय**

1 **(1985 एम.पी.एल.जे. 411)**

2 **1999 (1) जे.एल.टी. 200**

अधिकारी, खिलचीपुर[3], **चरण लाल साहू विरुद्ध नंदकिशोर**[4], और **अल्तमश रैन विरुद्ध चंदूलाल**[5] के प्रकरणों का अवलंब लिया गया है।

8. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री एन.के. अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 1993 के अधिनियम की धारा 36(1)(ड) के अनुसार उक्त पंचायत की पदाधिकारी होने के लिए पात्र नहीं थी क्योंकि उसके दो से अधिक जीवित बच्चे थे और तीसरी संतान का जन्म दिनांक 12.09.2001 को अर्थात दिनांक 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ था। आगे यह तर्क दिया गया कि ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी कि निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचन याचिका के साथ 1995 के नियमों के नियम 7 के अनुसार आवश्यक प्रतिभूति राशि जमा नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने भी अपने प्रतिवाद के समर्थन में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इन परिस्थितियों में, निर्वाचन अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अन्य उत्तरवादी क्रमांक 3 से 5, सूचना तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अपने उत्तर में नियम 7 के अननुपालन के आरोप का खंडन नहीं किया है।

3 **1997(2) एम.पी.एल.जे. 192**
4 **ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2464**
5 **ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1199**

10. संबंधित पक्षकारों के अभिवचनों और निर्वाचन अधिकरण की आदेश पत्रिकाओं के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 2/निर्वाचन याचिकाकर्ता ने याचिका प्रस्तुतीकरण के समय प्रतिभूति राशि जमा नहीं की थी। अधिकरण ने उसे प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए समय दिया। हालांकि, उत्तरवादी क्रमांक 2/निर्वाचन याचिकाकर्ता ने 500/- रुपये के स्थान पर प्रतिभूति के रूप में केवल 50/- रुपये जमा किए।

11. 1993 के अधिनियम के तहत निर्वाचन को केवल धारा 122 के तहत निर्वाचन याचिका दायर करके ही प्रश्नगत किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 122. निर्वाचन अर्जी याचिका- (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन ' [***] को-

(एक) ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी (राजस्व) को,

(दो) जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, और

(तीन) जिला पंचायत के मामले में [संचालक, पंचायत] को विहित रीति में केवल याचिका पेश करके ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) ऐसी कोई भी अर्जी तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक वह उस तारीख से, जिसको प्रश्नगत निर्वाचन ' [***] अधिसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश न की जाए।

(3) ऐसी अर्जी की जाँच या उसका निपटारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो विहित की जाए।

12. 1993 के अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) और (3) सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने 'मध्य प्रदेश पंचायत (निर्वाचन याचिका, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995' (नियम-1995) बनाए हैं। वर्तमान उद्देश्य के लिए सुसंगत नियम निम्नानुसार उद्धृत हैं:-

> "**3. निर्वाचन अर्जी का प्रस्तुत किया जाना-** (1) कोई निर्वाचन अर्जी विनिर्दिष्ट अधिकारी को, अर्जीदार द्वारा या अर्जीदार की ओर से इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा कार्यालयीन समय के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।
>
> 2) प्रत्येक निर्वाचन अर्जी के साथ उसकी उतनी ही प्रतियां संलग्न होंगी जितने प्रत्यर्थी उस अर्जी में वर्णित हैं और अर्जीदार प्रत्येक ऐसी प्रति को अपने हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित करेगा कि वह अर्जी की सही प्रति है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "**7. प्रतिभूति का जमा किया जाना-** अर्जीदार, निर्वाचन अर्जी प्रस्तुत करते समय, रुपये पांच सौ की राशि प्रतिभूति के रूप में विनिर्दिष्ट अधिकारी के पास जमा करेगा। जहां एक से अधिक अभ्यर्थियों का निर्वाचन प्रश्नगत किया गया हो, वहां ऐसे प्रत्येक निर्वाचित अभ्यर्थी के संबंध में समान राशि का पृथक पृथक जमा किया जाना अपेक्षित होगा।"
>
> "**8. याचिका प्राप्त होने पर प्रक्रिया -** यदि नियम 3 या नियम 4 या नियम 7 के उपबंधों का अनुपालन नहीं हुआ हो, तो विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अर्जी खारिज कर दी जाएगी।"

13. **बाबूलाल**[1] के प्रकरण में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में '1951 का अधिनियम') में निहित

समविषयक उपबंधों और 1995 के नियमों के नियम 3, 4, 7 और 8 में निहित उपबंधों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि नियम 7 का उपबंध अनिवार्य है और भले ही निर्वाचन नियमों के नियम 7 के अननुपालन के बारे में कोई आपत्ति नहीं की गई हो, अधिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि वह नियम के अननुपालन के बारे में संतुष्ट होने पर याचिका को खारिज कर दे। उसे इसके विचारण के साथ आगे बढ़ने की कोई अधिकारिता नहीं है।

14. **उदय सिंह**[2] के प्रकरण में भी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **बाबूलाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**[1] के निर्णय का संदर्भ देते हुए अभिनिर्धारित किया है कि नियम 1995 के नियम 7 और 8 के उपबंध अनिवार्य हैं। जहां निर्वाचन याचिका के साथ प्रतिभूति राशि जमा नहीं की जाती है, ऐसी याचिका संक्षिप्त तौर पर खारिज किए जाने योग्य है। इसी तरह का अभिमत **अमरसिंह**[3] के प्रकरण में भी व्यक्त किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां नियम 7 के अनिवार्य उपबंध के अनुपालन में वाद-व्यय हेतु प्रतिभूति जमा नहीं की गई थी, वहां निर्वाचन याचिका नियम 7 के तहत घातक दोष से ग्रसित थी और अनुविभागीय अधिकारी के पास याचिका खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **चरण लाल साहू**[4] के प्रकरण में, 1951 के अधिनियम की धारा 117 के अननुपालन का निराकरण करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा धारा 117 की आवश्यकतानुसार निर्वाचन याचिका के साथ प्रतिभूति राशि जमा न करने पर, उच्च न्यायालय के पास याचिका को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

16. **अल्तमश रैन**[5] के प्रकरण में भी इसी तरह का अभिमत दिया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 117 का अननुपालन 1951 के अधिनियम की धारा 86(1) के आधार पर निर्वाचन याचिका को खारिज करने की ओर ले जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. ऊपर संदर्भित निर्णयों में निर्धारित विधि के सिद्धांतों का अवलंब लेते हुए, मेरा यह अभिमत है कि निर्वाचन याचिकाकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा 1995 के नियमों के नियम 7 का पूर्णतः अननुपालन किया गया है, क्योंकि निर्वाचन याचिका दायर करते समय कोई प्रतिभूति राशि जमा नहीं की गई थी। बाद में, पाँच सौ रुपये की आवश्यक प्रतिभूति राशि के विरुद्ध केवल 50/- रुपये जमा किए गए थे। इन परिस्थितियों में, निर्वाचन अधिकरण के पास 1995 के नियम 7 और नियम 8 को देखते हुए निर्वाचन याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक राज्य के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकरण

के समक्ष कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं ली गई थी, जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है, निर्वाचन अधिकरण पर यह कर्तव्य आरोपित है कि वह याचिका स्वीकार करने से पहले निर्वाचन याचिका की जांच करे कि क्या वह निर्वाचन याचिका नियमों के अनुसार दायर की गई है। चूंकि निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचन याचिका दायर करते समय कोई प्रतिभूति राशि जमा नहीं की गई थी और बाद में प्रतिभूति राशि के रूप में केवल 50/- रुपये जमा किए गए थे, इसलिए अधिकरण के समक्ष कोई विधिमान्य रूप से गठित निर्वाचन याचिका नहीं थी और अधिकरण को निर्वाचन याचिका को नियम 8 के तहत प्रारंभतः ही खारिज कर देना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, निर्वाचन अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-1, जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका को स्वीकार किया गया था, कायम नहीं रखा जा सकता है और वह अपास्त किए जाने योग्य है तथा तदनुसार अपास्त किया जाता है। फलस्वरूप, निर्वाचन याचिकाकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 2 की निर्वाचन याचिका एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

19. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur